

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्थापना-II

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक :08-02-2023

परिपत्र


विषय : अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमों व शर्तों संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से है:

1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	1
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम वर्ष 62
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता	अनुलग्नक के अनुसार
6.	कार्यभार	

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के एक महीने के अन्दर सम्बंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपों में अपना विवरण "अवर सचिव(प्रशासन), कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए " सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।

3. हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा ।



(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार
टैलीफैक्स: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
2. ई ऑफिस नोटिस बोर्ड
3. नोटिस बोर्ड
4. अवर सचिव (सीएस.1) (ध्यानाकर्षण: श्री सुनील कुमार), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए।

पद संख्या 1 (Medical Education Policy Section)

क्र.सं.	कार्यभार (अवधि - एक वर्ष)	पात्रता
1	<p>मंत्रालय के निम्नलिखित मामले में सहायता के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> विधेयकों/ अधिनियमों के प्रारूपण में सहायता करना ए एस जी / स्टैंडिंग काउंसल / कानूनी प्रतिनिधि के साथ समन्वय करना घटनाओं के कैलेंडर बनाना एवं अद्यतन करना और वर्तमान में चल रहे अदालती मामलों के संक्षेप तैयार करना उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों में जवाबी हलफनामा एवं जवाबों का मसौदा तैयार करना महत्त्वपूर्ण अदालती मामलों की सुनवाई में भाग लेना और मामलों की जानकारी केंद्र सरकार के काउंसल / ए एस जी को देना अनुभाग में किये जा रहे किसी अन्य कार्य में सहायता करना 	<p>1 पद</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों से उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के पद से सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर अदालती मामलों को संभालने का ज्ञान एवं अनुभव

अनुलग्नक -II

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 03 5 य से से जब 00 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न ॥ गो ह ेक्त्र चला कटनमी 03 केत जब 03 1 से जब 00 1
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों में शमर पद्दात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने परे छीए उ नेयदा त्तभई क न्यअर कड़े छी होगा। टीए तृत्वनी वसेव एते कससी गो ही हवा तत्र प ए उ होते समय पात्र थे।
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच केनर क क्षे मस अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलें र कथ से कतय फकी वा तमक्ष, मश्ररि पगे।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है ॥ ह ई कदिय,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, नर्तुघद, ॥ गो ही हनी य दर तउ एते कर्त्तक्षन सुकन
1	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा

म लंक्य के क कार्य सेवाकीभीकेसकेनिन्,

होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।

2	करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
1	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
3	

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल एजुकेशन पालिसी अनुभाग में परामर्शदाता
की
नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

नाम:

पिता का नाम:

जन्म तिथि:

आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीख:

अंतिम कार्यालय का नाम:

अंतिम पदनाम:

अंतिम आहरित वेतन:

पेंशन:

दूरभाष सं:

मोबाइल नंबर:

ई ई ओलम

मेलिंग पता:

स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (० हा त क श्व अर्दियं, ए गलरेपेप सगल अ)

संगठन न थंस्स	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

(रक्षा स्तंभ)

स्थान:

दिनांक: